

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबड़ा,
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर जिला बालाघाट म.प्र.**

व्य.वाद क.111ए/2015
संस्थित दिनांक 16.12.2015
फा.नंबर-14492015

- 1.सुकलाल उम्र-62 वर्ष पिता स्व0 हीरासिंह, जाति गोंड,
निवासी नुनकाटोला(सिजोरा) पोस्ट सिजोरा, तहसील बैहर जिला बालाघाट,
- 2.अमोलसिंह उम्र-58 वर्ष पिता स्व0 हीरासिंह, दोनों जाति गोंड, निवासी
नुनकाटोला (सिजोरा) पोस्ट सिजोरा तहसील बैहर जिला बालाघाट ।

.....वादीगण

:: विरुद्ध ::

- 1.सुकरतिनबाई उम्र-70 वर्ष पति स्व0 हीरासिंह, वर्तमान पति
कुन्दरुसिंह, जाति गोंड, निवासी बरटोला(सिजोरा) पोस्ट सिजोरा
तहसील बैहर जिला बालाघाट,
- 2.इन्द्रावती उम्र-40 वर्ष पति सोनसिंह जाति गोंड, निवासी बरटोला
(सिजोरा) पोस्ट सिजोरा तहसील बैहर जिला बालाघाट,
- 3.कमलाबाई उम्र-35 वर्ष पति दशरथ, जाति गोंड, निवासी पटुवा
पोस्ट जैतपुरी तहसील बैहर जिला बालाघाट,
- 4.शिवराम उम्र-45 वर्ष पिता हीरासिंह, जाति गोंड, निवासी नुनकाटोला
(सिजोरा) पोस्ट सिजोरा तहसील बैहर जिला बालाघाट,
- 5.धरमी उम्र-42 वर्ष पिता हीरासिंह, जाति गोंड, निवासी नुनकाटोला
(सिजोरा) पोस्ट सिजोरा तहसील बैहर जिला बालाघाट,
- 6.जुगनीबाई उम्र-58 वर्ष पति मिस्तर जाति गोंड, साकिन नुनकाटोला
(सिजोरा) पोस्ट सिजोरा तहसील बैहर जिला बालाघाट,
- 7.विमला उम्र-35 वर्ष पिता हीरासिंह, जाति गोंड, निवासी परसामऊ
पोस्ट अलना तहसील बैहर जिला बालाघाट,
- 8.पुष्पा उम्र-65 वर्ष पिता हीरासिंह वर्तमान पति जुगधूसिंह, जाति गोंड,
साकिन नुनकाटोला(सिजोरा) पोस्ट सिजोरा तहसील बैहर जिला बालाघाट,

9. चमरुलाल उम्र-40 वर्ष पिता हीरासिंह जाति गोंड साकिन नुनकाटोला (सिजोरा) पोस्ट सिजोरा तहसील बैहर जिला बालाघाट,
10. उदेसिंह उम्र-34 वर्ष पिता सुकलाल जाति गोंड, साकिन नुनकाटोला (सिजोरा) पोस्ट सिजोरा तहसील बैहर जिला बालाघाट,
11. चैनसिंह उम्र-28 वर्ष पिता सुकलाल जाति गोंड, साकिन नुनकाटोला (सिजोरा) पोस्ट सिजोरा तहसील बैहर जिला बालाघाट,
12. भोलासिंह उम्र-25 वर्ष पिता सुकलाल जाति गोंड, साकिन नुनकाटोला (सिजोरा) पोस्ट सिजोरा तहसील बैहर जिला बालाघाट,
13. मथूराबाई उम्र-85 वर्ष पति स्व0 हीरालाल जाति गोंड, निवासी खजरा पोस्ट सिजोरा तहसील बैहर जिला बालाघाट,
14. भूखियाबाई उम्र-70 वर्ष पति स्व0 रायसिंह जाति गोंड, साकिन नुनकाटोला(सिजोरा) पोस्ट सिजोरा तहसील बैहर जिला बालाघाट,
15. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय बालाघाट।

.....प्रतिवादीग

:: निर्णय ::
(दिनांक 17.01.2018 को घोषित)

01— यह प्रतिदावा वादग्रस्त भूमि मौजा सिजोरा, प.ह.नंबर-52, रा.नि.मं. व तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर-55/4 रकबा 0.10 डिसमिल, खसरा नंबर-66/1 रकबा 15.43 एकड़, खसरा नंबर-66/7 रकबा 0.86 डिसमिल, खसरा नंबर-66/9 रकबा 0.30 डिसमिल, खसरा नंबर-02 रकबा 18.49 एकड़ भूमि के विषय में स्वत्व घोषणा, अंश निर्धारण कर कब्जा प्राप्ति तथा विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1995 एवं संशोधन पंजी क्रमांक 51 दिनांक 20.07.1998 के शून्य होने की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02— प्रतिदावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण मूल पुरुष झुक्कू वल्द करिया के उत्तराधिकारी है। झुक्कू की चार संतान पुत्र हीरासिंह, पुत्री मथूराबाई, भूखियाबाई एवं रतियाबाई हुए। झुक्कू का एक मात्र

पुत्र हीरासिंह था। हीरासिंह की चार पत्नियाँ सुक्कोबाई, झंगलबाई, सुकरतीनबाई एवं पुष्पाबाई थी, जिसमें से पहली पत्नि सुक्कोबाई एवं दूसरी पत्नि झंगलबाई की मृत्यु हो चुकी है। सुक्कोबाई से हीरासिंह की चार संतान सुकलाल, जुगनीबाई, अमोलसिंह एवं विमलाबाई है तथा झंगलबाई से दो संतान शिवराम एवं धरमोबाई है। हीरासिंह की तीसरी पत्नि सुकरतीनबाई से दो पुत्रियाँ इन्द्राबाई एवं कमलाबाई तथा चौथी पत्नि पुष्पाबाई से एक मात्र पुत्र चमरूलाल है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण मूल पुरुष झुक्कू एवं उसके पुत्र स्व० हीरासिंह के विधिक उत्तराधिकारी हैं।

03— वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 55/4 रकबा 0.10 एकड़, खसरा नंबर 66/1 रकबा 15.43 एकड़, खसरा नंबर 66/7 रकबा 0.86 एकड़, खसरा नंबर 66/9 रकबा 0.30 एकड़ कुल 16.60 एकड़ भूमि हीरासिंह द्वारा कय की गई भूमि जो पूर्व में हीरासिंह के नाम पर राजस्व प्रलेखों में दर्ज थी और उसकी मृत्यु पश्चात उसके वारसानों के नाम पर राजस्व प्रलेखों में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि में से खसरा नंबर 2 रकबा 18.49 एकड़ भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि है, जो मूल पुरुष झुक्कू के नाम पर पूर्व में राजस्व प्रलेखों में दर्ज थी। मूल पुरुष झुक्कू का पुत्र हीरासिंह झुक्कू से पूर्व ही फौत हो चुका था, इसलिये खसरा नंबर 2 की भूमि पर हीरासिंह का नाम दर्ज नहीं हुआ और झुक्कू की मृत्यु उपरांत इसी बात का फायदा उठाते हुए वादीगण द्वारा शेष वारसानों की चोरी से झुक्कू की पत्नि रेमाबाई के साथ सिर्फ अपना नाम उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में संशोधन पंजी क्रमांक 62 दिनांक 22.12.1976 के माध्यम से दर्ज करा लिया गया और तभी से उस भूमि के राजस्व प्रलेखों में सिर्फ झुक्कू के वारसानों में रेमाबाई एवं वादीगण का ही नाम दर्ज चला आ रहा था। उक्त संशोधन पंजी को प्रमाणित करने के पूर्व राजस्व अधिकारियों द्वारा वादीगण से झुक्कू के शेष वारसानों की जानकारी राजस्व कर्मचारियों को नहीं दी गई और विधि-विरुद्ध रूप से उक्त फौती नामांतरण पास करवा लिया गया।

04— वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 55/4, 66/1, 66/7 एवं 66/9 की

भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के शामिल खाते में एवं खसरा नंबर 2 की भूमि मात्र वादीगण के नाम से दर्ज थी, परन्तु उक्त संपूर्ण भूमि पर मूल पुरुष झुक्कू के समय से ही सभी उत्तराधिकारी आपसी सुविधा अनुसार काश्त करते हैं तथा वर्तमान में भी इसी प्रकार से मालिक काबिज चले आ रहे हैं, परन्तु वादग्रस्त संपूर्ण भूमि के विधिवत बंटवारे के संबंध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच चर्चा की गई, तब वादीगण शामिल खाते की भूमि के बंटवारे की बात तो कहते रहे, परन्तु खसरा नंबर 2 रकबा 18.49 एकड़ भूमि पर सिर्फ वादीगण का ही नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर उसका बंटवारा झुक्कू के शेष वारसानों को देने से मना कर दिये, जिस कारण प्रतिवादी क्रमांक 01 से 03 द्वारा संशोधन पंजी क्रमांक 62 दिनांक 22.12.76 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में राजस्व अपील क्रमांक 1अ-6 वर्ष 2014-15 पेश की गई और अनुविभागीय अधिकारी बैहर द्वारा उक्त अपील का निराकरण करते हुए आदेश पारित कर उक्त संशोधन पंजी को प्रभावशून्य घोषित कर झुक्कू के सभी वारसानों का नाम खसरा नंबर 02 की भूमि के राजस्व प्रलेखों में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया।

05— वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया है कि उभयपक्ष गोंड जाति के सदस्य हैं और उन पर हिन्दू धर्म एवं हिन्दू विधि लागू नहीं होती है, परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है कि उभयपक्ष में हिन्दू विधि लागू नहीं होती है और किसी महिला उत्तराधिकारी को खानदानी भूमि पर स्वत्व प्राप्त नहीं होता है तो उनके द्वारा हीरासिंह की अर्जित भूमि पर महिला उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज हुआ, तब उनके द्वारा उसका विरोध क्यों नहीं किया गया। वादीगण द्वारा सिर्फ उक्त बात इसलिये लिखी गई है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि खसरा नंबर 02 रकबा 18.49 एकड़ भूमि के हक एवं हिस्से से झुक्कू के शेष वारसानों को वंचित किया जा सके। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का समान हक व अधिकार है।

06— वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 02 रकबा 18.49 एकड़ भूमि मात्र उनके नाम से दर्ज होने का फायदा उठाकर झुक्कू के शेष वारसानों का हक नष्ट करने के आशय से वादी सुकलाल ने उक्त वादग्रस्त भूमि को अफरा-तफरी करने के लिये खसरा नंबर 02 रकबा 18.49 एकड़ भूमि में से 2.00 एकड़ भूमि अपनी पत्नि बिरजाबाई पति सुकलाल के नाम से बरायनाम रजिस्ट्री करवा दिया गया था, जो भूमि वर्तमान में उसके पुत्र उदेसिंह, चैनसिंह एवं भोलासिंह वल्द सुकलाल के नाम से खसरा नंबर 2/2 रकबा 2.00 एकड़ भूमि दर्ज है। वादीगण द्वारा बिरजाबाई के नाम से दर्ज कराया गया विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1995 शेष हिस्सेदारों पर बंधनकारक नहीं है। वादीगण द्वारा सिर्फ उक्त विक्रय पत्र झुक्कू के शेष वारसानों का हक नष्ट करने के लिये दर्ज कराया गया था। वादीगण द्वारा खसरा नंबर 02 की भूमि में से 7.25 एकड़ भूमि सुकलाल वल्द हीरासिंह एवं 9.24 एकड़ भूमि अमोलसिंह वल्द हीरासिंह के नाम दर्ज है।

07— प्रतिवादीगण के प्रतिदावा का मूल्य वादग्रस्त संपूर्ण भूमि पर हक की घोषणार्थ 1,000/— रुपये पर 500/— रुपये एवं विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1995 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने हेतु 1,000/— रुपये पर 500/— रुपये तथा संशोधन पंजी क्रमांक 62 दिनांक 22.12.1976 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने हेतु 1,000/— रुपये पर 500/— रुपये तथा वादग्रस्त भूमि का विधिवत अंश निर्धारण एवं अंश अनुसार कब्जा प्राप्ति हेतु पर्याप्त न्यायशुल्क प्रतिदावा के साथ संलग्न है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा झूठे आधारों पर यह दावा प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त किया जावे।

08— वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 एवं 08 से 09 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा का जवाब प्रस्तुत कर यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 55/4 रकबा 0.10 एकड़, खसरा नंबर 66/1 रकबा

15.43 एकड़, खसरा नंबर 66/7 रकबा 0.30 एकड़ कुल 16.60 एकड़ भूमि हीरासिंह द्वारा कय की गई भूमि जो पूर्व में हीरासिंह के नाम पर राजस्व प्रलेखों में दर्ज थी और उसकी मृत्यु पश्चात उसके वारसानों के नाम पर राजस्व प्रलेखों में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि में से खसरा नंबर 2 रकबा 18.49 एकड़ भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि है, जो मूल पुरुष झुक्कू के नाम पर पूर्व में राजस्व प्रलेखों में दर्ज थी। मूल पुरुष झुक्कू का पुत्र हीरासिंह झुक्कू से पूर्व ही फौत हो चुका था, इसलिये खसरा नंबर 2 की भूमि पर हीरासिंह का नाम दर्ज नहीं हुआ और झुक्कू की मृत्यु उपरांत इसी बात का फायदा उठाते हुए वादीगण द्वारा शेष वारसानों की चोरी से झुक्कू की पत्नि रेमाबाई के साथ सिर्फ अपना नाम उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में संशोधन पंजी क्रमांक 62 दिनांक 22.12.1976 के माध्यम से दर्ज करा लिया गया और तभी से उस भूमि के राजस्व प्रलेखों में सिर्फ झुक्कू के वारसानों में रेमाबाई एवं वादीगण का ही नाम दर्ज चला आ रहा था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिदावा असत्य आधारों पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त किया जावे।

09— न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है, जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:—

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादग्रस्त संपत्ति खसरा नंबर 55/4 रकबा 0.10 डिसमिल, खसरा नंबर 66/1 रकबा 15.43 एकड़, खसरा नंबर 66/7 रकबा 0.86 डिसमिल, खसरा नंबर 66/9 रकबा 0.30 डिसमिल, खसरा नंबर 2 रकबा 18.49 एकड़ मौजा सिजोरा प.ह.नं. 52 रा. नि.मं. बैहर प्रतिवादीगण के स्वामित्व की है ?	अंशतः प्रमाणित
2.	क्या विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1995 तथा संशोधन पंजी क्रमांक 51 दिनांक 20.07.98 विधि-विरुद्ध होकर प्रतिवादीगण पर बंधनकारक नहीं है ?	अंशतः प्रमाणित

3.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कड़िका क्रमांक-19 के अनुसार आंशिक रूप से डिकी तैयार की गई।
----	-------------------	---

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02:-

10- प्रतिदावा के समर्थन में इन्द्राबाई प्र.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण मूल पुरुष झक्कू करिया के उत्तराधिकारी है, जिसकी चार संतान पुत्र हीरासिंह, पुत्री मथुराबाई, भुखियाबाई एवं रतियाबाई हुए। झक्कू का एक मात्र पुत्र हीरासिंह था, जिसकी चार पत्नियाँ सुक्कोबाई, जंगलबाई, सुकरतीनबाई एवं पुष्पाबाई थी, जिसमें से पहली पत्नि सुक्कोबाई एवं दूसरी पत्नि जंगलबाई फौत हो चुके हैं। सुक्कोबाई से हीरासिंह की चार संतान सुकलाल, जुगनीबाई, अमोलसिंह एवं विमलाबाई तथा जंगलबाई से दो संतान शिवराम एवं धरमीबाई है, जबकि तीसरी पत्नि सुकरतीनबाई से दो पुत्रियाँ इन्द्राबाई एवं कमलाबाई तथा चौथी पत्नि पुष्पाबाई से एक मात्र पुत्र चमरूलाल है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 55/4 रकबा 0.10 एकड़, खसरा नंबर 66/1 रकबा 15.43 डिसमिल, खसरा नंबर 66/7 रकबा 0.66 एकड़ तथा खसरा नंबर 66/9 रकबा 0.30 एकड़ कुल 16.60 एकड़ भूमि हीरासिंह द्वारा क्रय की गई थी, जिस पर पहले हीरासिंह तथा पश्चात में उसके वारसानों का नाम दर्ज है।

11- इन्द्राबाई प्र.सा.01 के अनुसार भूमि खसरा नंबर 2 रकबा 18.49 एकड़ उभयपक्ष की खानदानी भूमि है, जो मूल पुरुष झक्कू के नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज थी, परंतु हीरासिंह के झक्कू से पहले ही फौत होने के कारण उक्त भूमि पर हीरासिंह का नाम दर्ज नहीं हुआ और उक्त बात का फायदा उठाते हुए वादीगण द्वारा चोरी से झक्कू की पत्नि रेमाबाई के साथ सिर्फ अपना नाम राजस्व प्रलेखों में संशोधन पंजी क्रमांक 62 दिनांक 22.12.76 के माध्यम से दर्ज करा लिया गया है और तभी से भूमि के राजस्व प्रलेखों में रेमाबाई एवं

वादीगण का नाम दर्ज चला आ रहा है, जबकि संशोधन पंजी क्रमांक प्रमाणित करने के पूर्व राजस्व अधिकारियों द्वारा वादीगण से झक्कू के शेष वारसानों की जानकारी मांगी गई थी, परंतु वादीगण द्वारा जान-बूझकर शेष वारसानों की जानकारी नहीं दी गई और विधि-विरुद्ध ढंग से उक्त फौती नामांतरण पास करवा लिया गया। उक्त संपूर्ण भूमि पर मूल पुरुष झक्कू के समय से ही सभी उत्तराधिकारी अपनी सुविधा अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं।

12— इंद्राबाई प्र.सा.01 का कथन है कि उक्त भूमि के बंटवारे के संबंध में जब उभयपक्ष के मध्य चर्चा हुई तो वादीगण शामिल खाते के बंटवारे की बात कहते रहे, परंतु खसरा नंबर 2 रकबा 18.49 डिसमिल भूमि पर सिर्फ वादीगण का नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर उसका बंटवारा झक्कू के शेष वारसानों को देने से मना कर दिया गया, जिस कारण प्रतिवादी क्रमांक 01, 02 एवं 03 द्वारा संशोधन पंजी क्रमांक 62 दिनांक 22.12.76 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में राजस्व अपील क्रमांक 1अ/6 वर्ष 2014-15 पेश की गई, जिसमें न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर उक्त संशोधन पंजी को प्रभावशून्य घोषित कर झक्कू के सभी वारसानों का नाम खसरा नंबर 02 के भूमि के राजस्व प्रलेखों में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। वाद कथित संपूर्ण भूमि वादीगण तथा प्रतिवादीगण की है, जिस पर उभयपक्ष का अधिकार है, परंतु खसरा नंबर 02 रकबा 18.49 एकड़ भूमि पर नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर झक्कू के शेष वारसानों का हक नष्ट करने की बदनियत से वादी सुकलाल ने उक्त भूमि में से 02 एकड़ भूमि अपनी पत्नि बिरजाबाई के नाम से रजिस्ट्री करवा लिया, जिस पर वर्तमान में उसके पुत्र उदयसिंह, चैनसिंह तथा भोलासिंह का नाम दर्ज है।

13— इंद्राबाई प्र.सा.01 के अनुसार उक्त विक्रय पत्र दिनांक 06.02.95 के शेष हिस्सेदारों पर बंधनकारक नहीं है, क्योंकि वादीगण द्वारा सिर्फ झक्कू के शेष वारसानों का हक नष्ट करने के लिए उक्त विक्रय पत्र पंजीयन करवाया

था। उक्त खसरा नंबर 02 की भूमि पर वादीगण द्वारा नाम दर्ज होना का फायदा उठाकर आपस में विभाजन कर लिया गया है और वर्तमान में उक्त भूमि में से 7.25 एकड़ भूमि वादी सुकलाल एवं 9.74 एकड़ भूमि अमोलसिंह के नाम से दर्ज है। यदि वादीगण द्वारा वास्तव में 02 एकड़ भूमि बिरजाबाई को विक्रय की गई होती तो संशोधन पंजी क्रमांक 51 दिनांक 20.07.98 में दो भाईयों को बराबर-बराबर हिस्सा प्राप्त होता, इस कारण उक्त संशोधन पंजी क्रमांक 52 दिनांक 20.07.98 प्रतिवादीगण पर बंधनकारक नहीं है। अतः वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा होने तथा उक्त विक्रय पत्र एवं संशोधन पंजी क्रमांक को शून्य घोषित किये जाने हेतु वर्तमान प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है।

14— इंद्राबाई प्र.सा.01 ने प्रतिदावा के समर्थन में अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 प्र.पी.01, संशोधन दिनांक 01.04.57 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.02, दिनांक 14.07.76 संशोधन पंजी की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.03, दिनांक 13.03.99 प्र.पी.04, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.17 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.05, संशोधन पंजी दिनांक 09.07.02 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.06, दिनांक 20.07.98 प्र.पी.07, दिनांक 9/1/95 प्र.पी.08, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.02.95 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.09, प्रतिवादी क्रमांक 01 का आधार कार्ड प्र.पी.10, प्रतिवादी क्रमांक 08 का आधार कार्ड प्र.पी.11, निर्वाचन पहचान पत्र प्र.पी.12 प्रस्तुत किया गया है।

15— प्रस्तुत प्रतिदावा के खण्डन में वादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा वह पश्चात में प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए हैं। प्रतिदावा के जवाब में वादीगण द्वारा खसरा नंबर 02 की भूमि के अतिरिक्त शेष वादकथित भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं किया है तथा पश्चातवर्ती अभिवचनों में यह स्वीकार किया है कि उक्त खसरा नंबर 02 की भूमि पर उनके द्वारा मात्र अपना नाम दर्ज करवाया गया था। अनुविभागीय अधिकारी बैहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.15 में भी उक्त खसरा नंबर 02 की भूमि पर

हीरासिंह के सभी वारसानों का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया था। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से इंद्रावती प्र.सा.01 की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है तथा उक्त साक्ष्य तथा प्रस्तुत दस्तावेजों को वादीगण की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है। प्रस्तुत दस्तावेजों तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर खसरा नंबर 02 के अतिरिक्त शेष भूमि के संबंध में यह सहज निष्कर्ष दिया जा सकता है कि उक्त भूमि उभयपक्ष की पैतृक होकर सभी के स्वामित्व की है।

16— जहाँ तक खसरा नंबर 02 रकबा 18.49 एकड़ भूमि का प्रश्न है, अधिकार अभिलेख प्र.पी.01 से उक्त भूमि मूल पुरुष झक्कू के नाम पर दर्ज होना दर्शित है, जो पश्चात में संशोधन क्रमांक 62 दिनांक 22.12.76 के द्वारा केवल वादीगण के नाम पर दर्ज हुई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी बैहर द्वारा आदेश दिनांक 21.07.15 के द्वारा निरस्त कर सभी वारसानों का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। स्वयं वादीगण द्वारा प्रतिदावा के जवाब में यह स्वीकृत किया है कि उनके द्वारा उक्त भूमि पर केवल स्वयं का नाम दर्ज कराया गया, परंतु प्रकरण की साक्ष्य से यह दर्शित है कि उक्त भूमि में से 02 एकड़ भूमि वादी सुकलाल द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 06.02.95 के माध्यम से अपनी पत्नी बिरजाबाई को विक्रय की। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी सुकलाल द्वारा शेष वारसानों का हिस्सा नष्ट करने के लिए उक्त विधि-विरुद्ध विक्रय किया गया तथा पश्चात में शेष भूमि का असमान बंटवारा किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र दिनांक 06.02.95 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.09 प्रकरण में प्रस्तुत की है तथा तत्संबंध में उप-पंजीयक एम.एस. मसराम प्र.सा.02 की साक्ष्य न्यायालय में कराई गई है। उक्त विक्रय पत्र के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त विक्रय प्रतिफल पर विधिवत पंजीयन द्वारा कराया गया है।

17— ऐसी स्थिति में मात्र पश्चातवर्ती असमान विभाजन के आधार पर विक्रय पत्र के हक नष्ट करने की नियत के आधार पर विधि-विरुद्ध किये जाने की कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। प्रतिवादीगण द्वारा न तो विक्रय पत्र के

साक्षी प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं और ना ही तत्संबंध में कोई अभिवचन है। ऐसी स्थिति में बिना किसी साक्ष्य के आधार पर मात्र संभावनाओं के आधार पर पंजीकृत विक्रय पत्र के विधि-विरुद्ध होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यदि तर्क के लिए पश्चातवर्ती विभाजन के आधार पर प्रतिवादीगण के अभिवचन स्वीकार भी कर लिए जाएं तो इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि यदि वादी सुकलाल का आशय शेष हिस्सेदारों के हक नष्ट करने का होता तो, उसके द्वारा अपने हक की संपूर्ण भूमि का विक्रय कर दिया जाता। फलतः उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त विक्रय पत्र के शून्य होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता, परंतु साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष उचित रूप से दिया जा सकता है कि शेष वादग्रस्त भूमि के अतिरिक्त खसरा नंबर 02 में से राशि 16.49 एकड़ भूमि उभयपक्ष की पैतृक होकर सभी के अधिकार की है।

18— प्रकरण में यह निर्विवाद है कि उभयपक्ष गोंड जाति के हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा-2(2) यह प्रावधान करती है कि उक्त अधिनियम अनुसूचित जनजाति को लागू नहीं होगा। अब वादग्रस्त भूमि के संबंध में यह प्रश्न है कि भूमि का न्यायगमन किस विधि से होगा, क्योंकि तत्संबंध में कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं है। न्यायदृष्टांत रामसिंह व अन्य वि० श्रीमति बांदीबाई व अन्य म०प्र० उच्च न्यायालय द्वितीय अपील क.583/94 दिनांक 13.09.11 के अनुसार जहाँ पक्षकार यह दर्शित करने में असफल रहते हैं कि वह किस प्रथा से शासित होते हैं, वहाँ यह उपधारणा की जा सकती है कि उन पर हिंदू विधि लागू होती है तथा वह उक्त अधिनियम के प्रावधानों से शासित होते हैं। फलतः यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि वर्तमान प्रकरण के पक्षकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होंगे, जिससे वादग्रस्त भूमि पर उभयपक्ष को समान रूप से अधिकार प्राप्त होगा। चूँकि खसरा नंबर 02 रकबा 16.49 भूमि पर सभी पक्षों का समान अधिकार है। फलतः संशोधन पंजी क्रमांक 52 दिनांक 20.07.98 द्वारा किया गया वादीगण का आपसी बंटवारा उचित नहीं कहा जा

सकता। अतः उक्त संशोधन पंजी प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य है। अतः विवाद्यक क्रमांक 01 एवं 02 का निष्कर्ष अंशतः प्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष:-

सहायता एवं व्यय:-

19- उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा आंशिक रूप से स्वीकार कर निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है कि :-

अ. वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 55/4 रकबा 0.10 डिसमिल, खसरा नंबर 66/1 रकबा 15.43 एकड़, खसरा नंबर 66/7 रकबा 0.86 डिसमिल, खसरा नंबर 66/9 रकबा 0.30 डिसमिल, खसरा नंबर 2 रकबा 16.49 एकड़ मौजा सिजोरा प.ह.नं. 52 रा.नि.मं. बैहर प्रतिवादीगण के स्वामित्व की है।

ब. संशोधन पंजी क्रमांक 51 दिनांक 20.07.98 विधि-विरुद्ध होकर प्रतिवादीगण पर बंधनकारी नहीं है।

स. उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

द. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो कम हो वाद व्यय में जोड़ी जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही / -
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.

सही / -
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.